"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92-ब] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल 2002—चैत्र 22, शक 1924

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अप्रेल 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/36/2002/वा.क./पांच (47).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-14-97-विक्र-पांच (78), दिनांक 29-9-97 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची में :—

प्रविष्टि 1 के कालम (3), (4) तथा (5) में प्रविष्टि 5 के बाद निम्न प्रविष्टि अंत:स्थापित की जायेगी :—

"6	(एक) केल्शियम नाईट्रेट छत्तीसगढ़ राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र से प्रवेश कराने पर.	1-4-2002	2 प्रतिशत
	(दो) केल्शियम नाईट्रेट छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी स्थान से प्रवेश कराने पर.	—तदैव—	10 प्रतिशत"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ -10/36/2002/वा. क./पांच(47).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/36/2002/वा .क./पांच (47), दिनांक 12-4-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 12th April 2002

NOTIFICATION

No. F-10/36/2002/CT/V (47).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4-A of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the state government hereby makes the following amendment in this departmental notification No. A-5-14-97-ST-V (78), dated 29-9-97, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification :—

In entry 1 in column (3), (4) & (5) after entry 5 following entry shall be inserted :—

"6	(I)	Calcium nitrate when entered from any local area within the state of Chhattisgarh.	1-4-2002	2%
	(II)	Calcium nitrate when entered from any place outside the state of Chhattisgarh.	—do—	10%"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.